न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

परिवाद पत्र सं0 :–64 / 2020

विचारण संख्या–2820 / 2022

01.11.2022 आवेदकगण मनोज शर्मा उर्फ रंगनाथ शर्मा, राजेश रंजन उर्फ अभिषेक कुमार एवं पुष्पा देवी की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । जमानत आवेदन की प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदकगण को झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया गया है । आवेदकगण के विरूद्ध संज्ञान ली गई सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 एवं 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदकगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अभियुक्तगण को मो0–10000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक उक्त वाद में अगली नियत निर्धारित तिथि को सदेह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।